न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 131 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. नाथूसिह पुत्र स्व श्री रूपसिह जाति राजपूत निवासी सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर		01.हरिसिह पुत्र स्व0श्री रणजीतसिह जाति राजपूत निवासी सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिह उपस्थित।

02.अप्रार्थीगण सख्या एक की ओर से अधिवक्ता कमल सिह चारण उपस्थित

आदेश दिनांक :– 20/7/2022

प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 0.7122 हैक्टर ग्राम मौजा सरेचा तहसील लूणी मे आई हुई है अप्रार्थी सख्या 01 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 103 रकबा 0.5827 हैक्टर भूमि मौजा सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। प्रार्थी को मुख्य सडक मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 0.7122 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 103 मे से होकर आना जाना पडता है अप्रार्थी सख्या 01 प्रार्थी को आने जाने मे बाधा उत्पन्न करता है तथा परेशान करता है तथा रास्ता भी बन्द कर देता है इस कारण सलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाए गए ए से बी भाग पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ के रास्ते को अप्रार्थी सख्या 01 के खसरा नम्बर 103 के कण व माठ के पास पास की भूमि मे से दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 103 के माठ के पास पास से पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर से होकर यह रास्ता खसरा नम्बर 102 मे जाता है उक्त रास्ता पीढियो से चला आ रहा है जिसको अप्रार्थी सख्या 01 को बन्द करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी के ट्रेक्टर जीप इत्यादि वाहन को आने जाने मे अप्रार्थी सख्या 01 रूकावट व बाधा डालता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिए रास्ता तय करवाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सख्या 01 प्रार्थी को आए दिन परेशान करता है तथा प्रार्थी जब भी उक्त रास्ते से होकर मुख्य मार्ग की तरफ जाता है तो अप्रार्थी सख्या 01 प्रार्थी को मारने पीटने के लिए दौडते है तथा आए दिन लडाई झगडा करता रहता है इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है क्योकि अप्रार्थी सख्या 01 प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने नही देता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिए रास्ता तय करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कि खेत खसरा नम्बर 102 मे प्रार्थी की रहवासीय पक्का मकान व पानी का टाका बना हुआ है तथा प्रार्थी सपरिवार निवास कर रहा है व बिजली का कनैक्शन भी लिया हुआ है लेकिन प्रार्थी जब भी मुख्य सडक पर उक्त रास्ते से आता जाता है तब अप्रार्थी सख्या 01 रास्ते को अवरोध कर बाधा व अडचन

सहा... कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उत्पन्न करता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गय रास्ता संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है जहाँ से प्रार्थी आवागमन करते है तथा प्रार्थी के खेत व घर मे आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है तथा प्रार्थी की सन्ताने स्कुल जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते है तथा प्रार्थी को बिमारी मौत मृतक अस्पताल शमशान जाने के लिए व खेत मे जाकर खेत का कार्य करने के लिए ट्रेक्टर व कृषि उपकरणो को लाने व ले जाने इत्यादि मे इसी रास्ते का उपयोग किया जाता है अभी हाल हि मे अप्रार्थी सख्या 01 ने कटीले तार खिचकर रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को घर व खेत मे आने जाने मे भारी समस्या खडी हो गई है तथा प्रार्थी के घर से आने जाने के लिए अन्य कोई नजदीकी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है यही रास्ता निकटतम व लधुतम एव सरलतम रास्ता है तथा कई बार उक्त रास्तो को पूर्व मे अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा बन्द किया गया था लेकि न पंच पंचायती से वापस उक्त रास्ते को खुलवाया गया था जो कटीले तार खीचकर बन्द करने पर व भविष्य मे रास्ता नही खोलने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता कमल सिह चारण ने वकालतनामा पेश किया गया तथा जबाव पेश नही करने पर अप्रार्थीगण का जबाव बन्द किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई । तहसीलदार लूणी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिशल हैं । तहसीलदार की रिपोर्ट भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 22.06.2022 अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 103 में से तीस फुट चौड़ाई अनुसार रास्ते का रकबा 0.05 बीधा अर्थात 0.0404 हैक्टर बनता है जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 22.06.2022 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 103 ग्राम सरेचा के रूप मे दर्शित किया है उसे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करे मौके पर कायम करे। एव प्रार्थी उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

फर्द दिनाक 22.06.2022 मे अकित है वह प्रार्थी द्वारा प्रतिफल राशि के बैक अथवा डी,डी न्यायालय मे जमा करवा दिये जाने पर आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी का तहरीर जारी की जावे। व मौका फर्द दिनांक 22.06.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी